न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)

व इजलास श्री जगन लाल मीणा R.A.S.

मुकदमा नं0. 32/16

लज्जराम पुत्र जबाली जाति जाटव निवासी गांव नगला भोंगरा तहसील कामां जिला भरतपुर प्रान्त

वादीगण

बनाम

1– मनीराम पुत्र जबाली जाति जाटव निवासी गांव नगला भोंगरा तहसील कामां
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां

दावा अन्तर्गत धारा 53-188, राज0 काश्त कारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 27.9.2017

वादी अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53–188 आर0टी0एक्ट अधिनियम के तहत पेश किया कि खाता नं0 66 के आ0ख0नं0 396/ रकवा 0.18, 397/1 रकवा 0.01, 515/3 रकवा 0.04 किता 3 रकवा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम नगला भोंगरा एवं खाता संख्या 136 के खसरा नम्बर 140 रकवा 0.09 141/0.10 142 रकवा 0.15, 143 रकवा 0.10 किता 4 रकवा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम सहेडा तहसील कामां में स्थित है जो वादी व प्रतिवादी नं0 1 के पिता जबाली की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिस पर पिता वादी व प्रतिवादी नं0 1 अपने जीवनकाल तक वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रह कर निरन्तर काश्त करता रहा पिता वादी व प्रतिवादी नम्बर एक के मरणोपरान्त आराजी मुतदाविया पर वादी व प्रतिवादी नम्बर एक वाहैसियत वारिस वाहिस्सा बराबर काबिज रह कर वा हैसितय खातेदार काश्तकार सम्मिलित रूप में करते चले आ रहे हैं । तथा मौके पर वादी व प्रतिवादी नं0 1 का वाहिस्सा बराबर सम्मिलित में कब्जा व काश्त है तथा मौके पर वादी व प्रतिवादी नं01 आराजी मुतदाविया के वाहिस्सा बराबर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज हैं किन्तु वादी व प्रतिवादी नं01 के मध्य अब आराजी मुतदाविया का सम्मिलित में काश्त करना सम्भव नहीं रहा है । वक्त फसल आपस में तनाजा रहता है । इसलिए वादी प्रतिवादी नं0 1 से आराजी मुतदाविया का बंटवारा बावत कहा तो पहले प्रतिवादी नं0 1 टालमटोल करता रहा किन्तु दिनाक 11.5.2016 को प्रतिवादी नं0 1 ने आराजी मुतदाविया का विभाजन करने से साफ मना कर दिया । विदि वजह वादी जरिये अदालत अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड विभाजन कराकर अलग अलग जमाबन्दी व राजस्व लगान कायम करा पाने का अधिकारी है । वादी व प्रतिवादी नम्बर एक के मध्य आराजी खसरा नम्बर खाता नम्बर 66 के खसरा नम्बर आ0ख0नं0 396/ रकवा 0.18, 397/1 रकवा 0.01, 515/3 रकवा 0.04 किता 3 रकवा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम नगला भोंगरा एवं खाता संख्या 136 के खसरा नम्बर 140 रकवा 0.09 141/0.10 142 रकवा 0.15, 143 रकवा 0.10 किता 4 रकवा 0.44 हैक्ट0 वाके ग्राम सहेडा तहसील कामां का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड का विभाजन किया जा कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी वादी को दिलाई जावे एवं अलग अलग जमाबन्दी व राजस्व लगान कायम किया जावे । तथा किसी दीगर व्यक्तियों को बिना विभाजन कराये रहन वय मुन्तकिल नहीं करें

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे तथा ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हकूक वादी जायल हो ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । दिनांक 12.11.16 को न्यायालय में उपस्थित होकर सहमति जाहिर की कि आराजी का विभाजन अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है । वादी व प्रतिवादी नं 1 हस्ताक्षर कर सहमति व्यक्त की । पक्षकारान की सहमति से प्राथमिक डिकी जारी की गयी । तथा तहसीलदार कामां को मौके पर निर्णयानुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी के कुर्रे तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। दिनांक 12.7.2017 को तहसीलदार कामां नें पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार कुर्रेजात तैयार कर प्रस्तुत किये जो निम्न प्रकार से हैं :-

1-सहजराम पुत्र जबाली कौम जाटव निवासी नगला भोंगरा को खसरा नम्बर 143 रकवा 0.10, 141/1 रकवा 0.04, 142/1 रकवा 0.08 किता 3 रकवा 0.22 वाके ग्राम सहेडा तथा 515/3 रकवा 0.02, 396 रकवा 0.09 किता 2 रकवा 0.11 वाके ग्राम नगला भोंगरा
2-मनीराम पत्र ज्वाली कौम जाटव निवासी साकिन देह खातेदार खसरा नम्बर 140 रकवा 0.09, 141 रकवा 0.06, 142 रकवा 0.07 वाके ग्राम सहेडा तथा खसरा नम्बर 515/3 रकवा 0.02, 397/1 रकवा 0.01, 396/1 रकवा 0.09 किता 3 रकवा 0.12 वाके ग्राम नगला भोंगरा तहसील कामां जिसका नजरी नक्शा तैयार रास्ता दिखाया गया है । जिस पर प्रतिवादी ने उपस्थित होकर कुर्रे रिपोर्ट पर ऐतराज पेश किया कि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ने करीब 50 साल आपसी सहमति के आधार पिता जी के होते बटवारा कर लिया था । प्रतिवादी को खसरा नम्बर , 396/0.18 नगला भोगरा व 140/0.09 142/0.15 में से एक नम्बर काबिज बनाया है वादी के मन बदयान्ती है इसलिए मुताबिक कब्जा वादी ने कुर्रेजात तैयार नहीं कराये हैं वादी परी हिस्सा से उतीन तीन रकवा ज्यादा इस वक्त मौके पर मौजूद है । तथा मुताबिक कब्जा कुर्रेजात बनवाये जावे । कुर्रेजात रिपोर्ट पर पक्षकार अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी । जिसमें प्रतिवादी वकील ने तहसीलदार कामां द्वारा प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट पर ऐतराज के प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कहा कि कब्जा अनुसार कुर्रे तैयार नहीं बताया है । वादी वकील ने कुर्रे रिपोर्ट पर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि तहसीलदार कामां द्वारा कुर्रे रिपोर्ट अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुर्रे तैयार किये हैं । प्रतिवादी प्रकरण को देरीना करना चाहता है । इस कारण ऐतराज जताया जा रहा है । लिखित दावे तथ्यों को दोहराया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । तथा उपलब्ध दस्तावेजा का अवलोकन किया गया । तहसीलदार कामां से प्राप्त कुर्रे का अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी वकील द्वारा ऐतराज प्रार्थना का अवलोकन किया गया । तहसीलदार कामां द्वारा प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट पर हम सहमत है । कुर्रे अनुसार ही पक्षकारान में आराजी का विभाजन करना उचित समझते है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार कामां द्वारा प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट अनुसार विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1-सहजराम पुत्र जबाली कौम जाटव निवासी नगला भोंगरा को खसरा नम्बर 143 रकवा 0.10, 141/1 रकवा 0.04, 142/1 रकवा 0.08 किता 3 रकवा 0.22 वाके ग्राम सहेडा तथा 515/3 रकवा 0.02, 396 रकवा 0.09 किता 2 रकवा 0.11 वाके ग्राम नगला भोंगरा
2-मनीराम पत्र ज्वाली कौम जाटव निवासी साकिन देह खातेदार खसरा नम्बर 140 रकवा 0.09, 141 रकवा 0.06, 142 रकवा 0.07 वाके ग्राम सहेडा तथा खसरा नम्बर 515/3 रकवा 0.02, 397/1 रकवा 0.01, 396/1 रकवा 0.09 किता 3 रकवा 0.12 वाके ग्राम नगला भोंगरा तहसील कामां इसी प्रकार डिकी तैयार की जावे । पक्षकारान का खर्चा अपना अपना वहन करेंगे

निर्णय आज दिनांक 27.9.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(जगन लाल मीणा)
सहायक कलक्टर
एवंउपखण्ड अधिकारी
कामां भरतपुर